

उ०प्र० मेडिकल कौंसिल की शासी समिति की बैठक दिनांक 06.03.2013 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश में पंजीकृत चिकित्सकों के आचार संहिता के विरुद्ध जो शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा भेजी जायेगी, पुष्टि हेतु उसे 100/-रु० (एक सौ रुपये) के स्टाम्प पेपर पर निम्नलिखित शपथपत्र देना होगा ।

## शपथपत्र

(100/-रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र)

मैं शपथपूर्वक लिखित रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ कि डा० ..... के विरुद्ध शिकायत मेरे हस्ताक्षर से की गयी है और शिकायत पत्र में जो बिन्दु/आरोप मेरे द्वारा लगाये गये हैं उनकी पुष्टि मैं करता/करती हूँ। उक्त शिकायती पत्र में सभी बिन्दुओं से भली-भाँति परिचित हूँ और इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मैं रु० 500/- बैंक ड्राफ्ट, रजिस्ट्रार, उ०प्र० मेडिकल कौंसिल के नाम पर ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... देयकर्ता बैंक....., द्वारा जमा कर रहा/रही हूँ।

शपथपत्र के साथ 500/-रु० का शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा (रजिस्ट्रार, उ०प्र० मेडिकल कौंसिल) या नकद या कार्यालय में जमा करना होगा, तभी शिकायतकर्ता की शिकायत उ०प्र० मेडिकल कौंसिल के एथिक्स कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखी जायेगी।